

मांग संख्या 78  
उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3.11	3.11	...	2.11	2.11	...	2.28	2.28	
पूंजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>जोड़</b>	...	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	...	<b>2.11</b>	<b>2.11</b>	...	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>	
<b>उप-राष्ट्रपति</b>										
1. सचिवालय	2012	...	3.03	3.03	...	2.03	2.03	...	2.20	2.20
2. अन्य	2012	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>3.11</b>	<b>3.11</b>	...	<b>2.11</b>	<b>2.11</b>	...	<b>2.28</b>	<b>2.28</b>

इसमें उप-राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के व्यय जिसमें उनके यात्रा व्यय, आकस्मिक व्यय तथा उप-राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान शामिल हैं, के लिए प्रावधान किया गया है।

भारत के उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति की हैसियत से वेतन प्राप्त होता है।